

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं० 30/2017-18

अपीलार्थी - एतवा मुण्डा

बनाम

उत्तरवादी - सरकार

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ										
30.10.25	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी एतवा मुण्डा, पिता- स्व० बिरसा मुण्डा ग्राम- सिजांग अम्बाटोली थाना- पालकोट जिला- गुमला के द्वारा मौजा- सिजांग के खाता सं० 170, प्लॉट सं० 1081 रकबा 0.50 एवं प्लॉट संख्या 817 रकबा 1.00 एकड़ भूमि के संबंध में अपील दायर किया गया। वादगत भूमि का विवरण <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td rowspan="2">सिजांग</td><td rowspan="2">170</td><td>1081</td><td>0.50 ए०</td></tr><tr><td>817</td><td>1.00 ए०</td></tr></table> कुल रकबा 1.50 एकड़ अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। एतवा मुण्डा, पिता- स्व० बिरसा मुण्डा ग्राम- सिजांग, थाना- पालकोट के निवासी है। मौजा- सिजांग खाता संख्या 170, प्लॉट 1081 रकबा 0.50 एवं प्लॉट संख्या 817 रकबा 1.00 ए० जमीन श्री बाड़ा लाल कन्दर्पनाथ शाहदेव ग्राम+थाना- पालकोट के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटी पटना को दिये थे। ग्राम-सिजांग खाता सं० 170 प्लॉट सं० 1081 रकबा 0.50 ए० चौहदी - उत्तर- रोपना लोहरा दक्षिण- लोभा पटान पूरब - रोपना लोहरा पश्चिम- शिबु मुण्डा	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	सिजांग	170	1081	0.50 ए०	817	1.00 ए०	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा									
सिजांग	170	1081	0.50 ए०									
		817	1.00 ए०									

ग्राम-सिजांग खाता सं० 170 प्लॉट सं० 817 रकबा 1.00 ए०

चौहदी - उत्तर- मगरू मुण्डा दक्षिण- नीज
पूरब - जंगल पश्चिम- एतवा मुण्डा

ग्राम-सिजांग खाता सं० 170 प्लॉट सं० 965 रकबा 1.00 ए०

चौहदी - उत्तर- शिव पहान दक्षिण- मंगल मुण्डा
पूरब - रास्ता पश्चिम- कोन्हा मुण्डा

भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा जमीन खाता संख्या 170, प्लॉट 1081, रकबा 0.50 एवं प्लॉट संख्या 817 रकबा 1.00 एकड़ जमीन को एतवा मुण्डा पिता- बिरसा मुण्डा ग्राम- सिजांग अम्बाटोली थाना- पालकोट जिला राँची का दिनांक 29.03.1972 को दिया गया। बिरसा मुण्डा जमीन पर दखलकार होकर खेती बारी किए एवं उनमें मृत्यु के बाद उनका लड़का एतवा मुण्डा खेती बारी करता है। अज्ञानता के कारण जमीन का दाखिल खारिज का आवेदन अंचल अधिकारी को नहीं दिया गया है। काफी दिन हो जाने के कारण दाखिल खारिज हेतु हुजूर के आदेश लेना जरूरी है।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1 बिहार भूदान यज्ञ कमिटी पटना सन् 29.03.1972 भूदान पत्र।

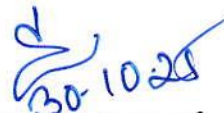
निष्कर्ष

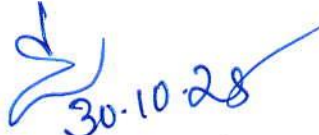
उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी के दाखिल दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा- सिजांग खाता संख्या 170, प्लॉट 1081, रकबा 0.50 एवं प्लॉट संख्या 817 रकबा 1.00 एकड़ जमीन प्रथम पक्ष कई सालों से खेती करते आ रहे हैं। बिरसा मुण्डा भूदान यज्ञ कमिटी कार्यालय, राँची के द्वारा जमीन अंतर्गत ग्राम-सिजांग खाता संख्या 170, प्लॉट 1081, रकबा 0.50 एवं प्लॉट संख्या 817 रकबा 1.00 एकड़ जमीन प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष को जमीन मालिक बड़ा लाल कंदर्प नाथ शाहदेव के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटी को दिया गया था।

अंचल अधिकारी, पालकोट के जांच प्रतिवेदन में एतवा मुण्डा बनाम सरकार ग्राम-सिजांग, थाना-पालकोट, मौजा-सिजांग, खाता संख्या 170, प्लॉट 1081, रकबा 0.50 एवं प्लॉट संख्या 817 रकबा 1.00 एकड़ किस्म जमीन जंगल झाड़ी है जो कि पंजी ii में दर्ज नहीं है। उक्त जमीन G.M खास/ Deem Forest के नाम पर खतियान में दर्ज है। पूर्व में वादी के नाम पर बंदोबस्ती एवं पंजी ii में कायम नहीं है साथ ही अपीलार्थी इस वाद में अभिरुचि नहीं ले रहे हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल विविद वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


30.10.28
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।


30.10.28
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।